

COMMONSPIRIT HEALTH

वित्त सहायता नीति का सारांश

CommonSpirit Health उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वस्थ समुदाय बनाने के लिए समर्पित है, जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और जो अवीमाकृत, अल्पबीमित, सरकारी कार्यक्रम के लिए अपात्र, या भुगतान करने में असमर्थ हैं। गरीबों और कमजोरों की सहायता करना हमारा मिशन और जुनून दोनों है। यह सारांश उन मरीजों को, जो कुछ निश्चित आय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, CommonSpirit Health अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के भुगतान में सहायता के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता का वर्णन करता है।

मुफ्त देखभाल:

- यदि आप अवीमाकृत या अल्पबीमित हैं और आपकी पारिवारिक आयसंघीय गरीबी स्तर के 200% तक है, तो आप पात्र अस्पताल सेवाओं के लिए अपनी शेष राशि से 100% छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।

रियायती देखभाल:

- यदि आपकी वार्षिक पारिवारिक आयसंघीय गरीबी स्तर के 201-400% के बीच है और आप अवीमाकृत या अल्पबीमित हैं, तो आप अस्पताल सेवाओं के लिए अपनी शेष राशि को सामान्य रूप से बिल की जाने वाली राशि (AGB) तक कम करने के लिए पात्र हो सकते हैं, जो कि संघीय कानून के तहत निर्धारित राशि है जो उस राशि को दर्शाती है जो निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और Medicare (सह-भुगतान और कटौती सहित) द्वारा अस्पताल को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान की गयी होती।

पात्रता:

उन लोगों को सहायता की पेशकश की जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आती है और:

- जिनके पास कुल दस (\$10.00) डॉलर या अधिक का खाता शेष है;
- जिन्होंने अन्य सभी भुगतान विकल्पों को समाप्त करने के प्रयासों में सहयोग किया है; और
- जिन्होंने पूरा किया हुआ वित्तीय सहायता आवेदनपत्र और आयको सत्यापित करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान किए हैं।

ध्यान दें: कुछ मामलों में, मरीजों को बिना औपचारिक आवेदन के वित्तीय सहायता दी जा सकती है। विवरण वित्तीय सहायता नीति में उल्लिखित है।



वित्तीय सहायता के लिए शुल्क वसूले जाने वाले पात्र मरीज:

यदि आप हमारी वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, आपको ऊपर वर्णित सामान्य रूप से बिल की गई राशि से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आपातकालीन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको कभी भी अग्रिम भुगतान या अन्य भुगतान व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आपअगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?

आवेदन को पूरा करें और इसे पात्रता और नामांकन पात्रता और नामांकन सेवाएं में जमा करें।

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता आवेदन, और यह सारांश अंग्रेजी और स्पैनिश में <https://www.chisaintjosephhealth.org/financial-assistance> पर उपलब्ध है।

डाक या व्यक्तिगत रूप से इन दस्तावेजों की एक मुफ्त प्रति प्राप्त करने के लिए, आवेदन को पूरा करने में सहायता प्राप्त करने के लिए, या ऊपर उल्लेख न की गयी भाषा में इन दस्तावेजों की अनुवादित मुफ्त प्रति का अनुरोध करने के लिए, कृपया संपर्क करें:

**Continuing Care Hospital
Eligibility and Enrollment Services
1 St Joseph Dr, Lexington, KY 40504**

Phone: 855-715-4379

Fax: 469-803-4627

e-mail: CHIFA@coniferhealth.com

ये दस्तावेज़ आपातकालीन कक्ष, यदि कोई हो तो, और मुख्य प्रवेशद्वार के पास स्थित अस्पताल के प्रवेश क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं ("प्रवेश" या "पंजीकरण" के संकेतों का अनुगमन करें)। वित्तीय परामर्शदाता, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमारी वित्तीय सहायता नीति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। वित्तीय सलाहकार आपको अस्पताल के AGB प्रतिशत और AGB प्रतिशत की गणना कैसे की गई, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हमारे कर्मचारी अस्पताल के प्रवेश क्षेत्र में स्थित हैं और उनसे ऊपर सूचीबद्ध किए हुए टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।